प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 183/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add. 66-K, Singhvi house, first floor, indise saheliyon ki bari, Bali, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारापाल, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27/1/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329027711862412 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8499400060 दिनांक 24.12.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/183/24/1485–86 दिनांक 24.12.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बारापाल द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2005/2025/45 दिनांक 17.01.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र क्रमांक 32929303762714, 329232529683971, 729336996037858 से एक ही पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील कार्यालय बारापाल से चाही गई थी, उक्त चाही गई सूचना के कुल पेजों की संख्या 274 थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सूचना हेतु चाहे गये दस्तावेजों की प्रति पृष्ठ 2/– रुपये की दर से कुल 548/– रुपये जमा योग्य राशि थी, उक्त जमा योग्य राशि अधिनियम में वर्णित माध्यक भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./सू.अ./2005/2024/952 दिनांक 18.12.2024 से आवेदक को जरिये साधारण डाकपत्र व ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से फी इंटीमेशन द्वारा सूचित किया गया था। इसके बावजूद आवेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं करवाई गई जिसके कारण आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि "the SPIO/ASPIO not provided the desired details/information and documents et. under RTI Act 2005

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

within 30 days period as specified in RTI Act. 2005 of our application filed bearing number 329232529683971 dated 20.11.2024. The SPIO/ASPIO totally failed to provide the desired details/information and documents etc. under RTI act 2005 within in 30 days time frame and also as on date not received till date. No letter was received from Speed post/ Registered letter till date from the concerned SPIO/ASPIO(Tehsildar Barapal, Udaipur). We therefore request your king honour to please admit the appeal and necessary directions/instructions may kindly be given to the SPIO/ASPIO to provide the desired details/informations/documents etc. free of cost. We will glad to submit more details if desired by your kind honour. Your kind immediated action, cooperation adn support would be highly appreciated.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारापाल द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना से संबंधित वांछित शूल्क जमा नहीं किये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अपीलार्थी का कथन है कि शुल्क जमा कराने के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं ऑनलाईन प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। ऑनलाईन प्रथम अपील पोर्टल पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे स्पष्ट होता हो कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को शुल्क संबंधी कोई पत्र प्रेषित किया गया हो। साथ ही अपीलार्थी द्वारा भी कथन किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के ऑनलाईन आवेदन पोर्टल पर ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बारापाल को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारापाल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध मैन्यूल अनुसार प्राप्त आवेदन का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारापाल को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर